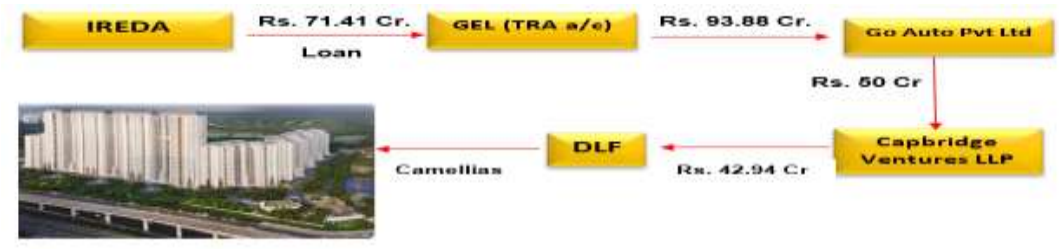
प्रेस विज्ञप्ति
19/01/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत जेनसॉल समूह से संबंधित मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करते हुए मेसर्स कैपब्रिज वेंचर्स एलएलपी (जेनसोल समूह की कंपनी) के नाम पर पंजीकृत अपार्टमेंट संख्या सीएम 706-ए, डीएलएफ कैमेलियाज़, गुरुग्राम, हरियाणा स्थित ₹40.57 करोड़ कीमत की अचल संपत्ति तथा जेनसोल समूह की विभिन्न कंपनियों में उपलब्ध कुल ₹14.28 करोड़ की बैंक शेष राशि को कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मंदिर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड, मेसर्स ब्लूस्मार्ट फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड, गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, अनमोल सिंह जग्गी एवं पुनित सिंह जग्गी (जेनसोल एवं ब्लूस्मार्ट समूह के प्रवर्तक), अजय अग्रवाल (गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक) तथा अन्य के विरुद्ध पंजीकृत दो एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की। पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच से यह खुलासा हुआ है कि अभियुक्त इकाई मेसर्स जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) तथा उसकी संबद्ध समूह इकाई मेसर्स ब्लूस्मार्ट फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड (बीएफपीएल) ने गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड (जीएपीएल) के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत सार्वजनिक ऋणदाताओं (आईआरईडीए एवं पीएफसी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) से इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े के विस्तार के नाम पर निर्गत ऋण के रूप में प्राप्त सार्वजनिक धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से विपथित (डायवर्ट) किया।

यद्यपि वास्तव में उक्त कंपनियों ने इन ऋण निधियों को गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड (टाटा ईवी वाहनों के अधिकृत कार डीलर) के माध्यम से प्रवाहित किया और इन्हें समूह की विभिन्न कंपनियों की शृंखला में परतदार (लेयर्ड) लेन-देन के जरिए स्थानांतरित किया, ताकि जेनसॉल समूह की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों और प्रवर्तकों के व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग किया जा सके। इस ऋण निधि के विपथन के परिणामस्वरूप जेनसोल के खाते गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) में परिवर्तित हो गए जससे सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम (पीएसयू), आईआरईडीए और पीएफसी तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को वित्तीय नुकसान हुआ। दिसंबर 2025 तक जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईआरईडीए और पीएफसी से प्राप्त ऋणों का कुल बकाया ₹505.27 करोड़ है।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अनमोल सिंह जग्गी ने अपने सह-षड्यंत्रकारी अजय अग्रवाल की मदद से उपर्युक्त ऋण निधियों को गुरुग्राम स्थित डीएलएफ, द कैमेलियाज़ में एक विलासितापूर्ण आवासीय संपत्ति में विपथित (डायवर्ट) किया। अतः इसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपराध की आय मानते हुए ईडी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क किया गया। ईडी द्वारा तलाशी के दौरान पता लगाई गई (ट्रेस) जेनसॉल समूह की विभिन्न कंपनियों और समूह कर्मचारियों के नाम पर खुले बेनामी खातों में मौजूद बैंक शेष राशि को भी कुर्क किया गया है।



आगे की जांच जारी है।